

राजस्थान सरकार

सारांशिक व्यापार एवं अधिकारियों विभाग

३०/२/ अमेलाला, अमेला, राजस्थान में पांच, वन्दु

प्रांक संख्या ११(८) आदेश/राज्यालय/०८/३३३४-६० जाग्रत्त दिनांक २२/१/२०११

सारांश निति उत्तराखण्ड

विषय- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को जाति प्रगति-पत्र जारी करने के बारे में स्वाक्षरण।

महोदय,

राज्य सरकार के द्वारा से ऐसे अनेक प्रकार तापे गये हैं, जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रगति-पत्र भेज्योग्य प्राविकृत अधिकारियों द्वारा नियन्त्रण की ओर में उत्तराखण्ड जारी नहीं किये जाते हैं। परिवारावस्था प्रबन्धक वैयक्तिक जटिलताएँ उत्तराखण्ड में जारी हैं।

विषय के सम्बन्धित प्रांक २४२२-४८ दिनांक ४.४.९०, ४३६६-६३६ दिनांक १३.१.२००० एवं ४५५४-६३ दिनांक २१.२.०४ द्वारा भी आगे जाति प्रगति-पत्र जारी करने रखे जाति प्रगति-पत्रों का भवावान रखने वाले अनुदेश विज्ञापन नहीं हैं। उत्तराखण्ड ने कठियद भागों में उन पर व्यापक धारण नहीं दिया या रखा है। जहां व्यापकों द्वारा उक्त पत्रों की प्राप्तियां भेजकर अनुग्रह किया जाता है कि आप प्राविकृत अधिकारियों को अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रगति-पत्र जारी करने से पूर्ण साहाय्य दिया, अन्य अधिकारियों को जाति प्रगति-पत्र जारी करने के विरोध प्रकार नहीं। अनुसूचित जाति/जनजाति से जाति प्रगति-पत्र जारी करने के विरोध प्रकार नहीं। प्राविकृत अधिकारी आवेदक की जाति से पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर ही जाति प्रगति-पत्र जारी करते हैं।

उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति व जनजाति की वर्गीकरण प्रभावी सूची उत्तराखण्ड का प्रधान ही जा रही है। जहां भवान-पत्र जारी करने से पूर्ण जरीकार्य प्राविकृती से परिवृद्ध अधिकारी की रिपोर्ट एवं उक्त सूची का भी समूचित आव्ययन कर संवेदन के सदर पर संग्रह होते हैं। यह यह मौजूदा स्थिति है कि अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (तंत्रोपन) अधिनियम १९७८ के बाद तथा मै जातियों की सूची में किसी प्रकार का वरिक्षण (checkup) नहीं हुआ है।

विभाग-उत्तराखण्ड

भवदीय

राज्यालय उप सचिव